निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

indiacode

9 पौष 1943 (श0)
(सं0 पटना 1073) पटना, वृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर 2021

okf.kT;&dj foHkkx

vf/kl puk
30 दिसम्बर 2021
अधिसूचना संख्या 20/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० **16**9, दिनांक 30 दिसम्बर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2018-राज्य-कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 721, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4414" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13) 20)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 दिसम्बर 2021

एस० ओ०. 169, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13)20)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th December 2021

Notification No. 20/2021– State Tax (Rate)

S.O.169, Dated 30th December 2021— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 21/2018-State Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 721, dated the 26th July, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) against S. No. 4, for the entry in column (2), the entry "4414" shall be substituted;

(ii) against S. No. 29, for the entry in column (2), the entry "7419 80" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 20)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1073-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in